15/05/2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभ।
पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया गया। आदेश पूर्ति TDR वाली व पटवारी हल्का नाना के पालनार्थ भिजवाई जा चुकी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 29/2021 GCMS NO: 2021/70
तारीख दर्ज– 05.04.2021
निर्णय दिनांक– 15.05.2024

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. श्रीमती उच्छब कुंवर पत्नि सूरजभानसिंह जाति राजपूत 2. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र ओटरमल जाति कलाल 3. श्री श्रवणसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासीगण बाली जिला पाली (राज.)।

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:– 1. तहसीलदार, बाली

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 15.05.2024

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार बाली लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 2303/1 कुल रकबा 0.5743 हैक्टेयर सरहद मौजा ग्राम नाना तहसील बाली में स्थित है। उक्त अराजी का प्रार्थी भूमि लैण्ड होल्डर है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त अराजी के खातेदार काश्तकार है। यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वाद पत्र को कृषि के रूप में काम न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ यथा आवासीय प्लॉट काटकर नाथ जी कॉलोनी के नाम से प्लान बनाकर भूमि को खुर्द–बुर्द कर रहे हैं, जिसका अप्रार्थीगण को हक नहीं है। अप्रार्थीगण ने कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। अप्रार्थीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तों को भंग करने एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थीगण को भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 31.03.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने तहसीलदार बाली के आदेशानुसार ग्राम नाना का भ्रमण कर सर्वे किया तब अप्रार्थीगण द्वारा भूमि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से अवैध रूप से गैर कृषि कार्यों के रूप मे उपयोग करते पाए गए। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को धारा 177, 92क आर.टी. एक्ट 1955 के तहत है। वाद प्रार्थी मय शपथ–पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन किया है कि वाद बहक वादी विरूद्ध अप्रार्थी डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाए तथा अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द–बुर्द नही करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 88 आर.टी. एक्ट के तहत् दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना–पत्र बन्द किया गया।

पेज लगातार......................02

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्व प्रकरण सं. 29/2021 **GCMS NO: 2021/70**

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम उच्छल कंवर वगैरा

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली मय दस्तावेज, जवाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम नाना के खसरा नंबर 2303/1, रकबा .5743 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेस, मौका फर्द (दिनांकः31.03.2021) नाना नाथजी कॉलोनी के नाम से प्लॉट बनाकर उपपंजीयक कार्यालय, नाना में रजिस्टर्ड भूखण्ड विक्रय विलेख क्रमांक 201901478000087 दिनांकः–30.01.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा प्लॉटों के विक्रय हेतु किया गया आम मुख्त्यारनाना की प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2303/1 किस्म चाही सोयम मौजा नाना में अवस्थित है जो एक कृषि योग्य भूमि है। उक्त खसरे का संपूर्ण रकबा यानि .5743 हैक्टेयर का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर नाथजी कॉलोनी के नाम से आवासीय प्लॉट काटकर आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। उपरोक्त दस्तावेजों से इस तथ्य की भली–भाँति पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बावजूद सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्लॉट बनाकर आवासीय प्रयोजनार्थ के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवायचक खाता राजस्थान सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम नाना तहसील बाली; खसरा नंबर 2303/1 कुल रकबा 0.5743 किस्म चाही सोयम में से अप्रार्थीगण खातेदार श्रीमती उच्छल कुवंर पत्नि सूरजभानसिंह जाति राजपूत, श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र ओटरमल जाति कलाल, श्री श्रवणसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासीगण बाली जिला पाली (राज.) के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

पदमः सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमें इयादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– बाली

बईजलासा :– श्री दिनेश बिश्नोई, आर०ए०एस०

प्रार्थी –	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली जिला पाली।		1. श्रीमती उच्छल कुंवर पत्नि सूरजभानसिंह जाति राजपूत 2 श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र ओटरमल जाति कलाल 3 श्री मदनसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासीगण बाली जिला पाली (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०नं० : रा० प्रा०प० स० 29 / 2021 GCMS No:-2021/70

1. यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–.............. व हाजरी श्री तहसीलदार बाली, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री ....–..............., अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम नाना, तहसील– बाली, खसरा **नंबर–2303 / 1, कुल रकबा 0.5743 बीघा मौजा नाना किस्म चाही सोयम** से अप्रार्थीगण खातेदार **श्रीमती उच्छल कुवंर पत्नि सूरजभानसिंह जाति राजपूत, श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र ओटरमल जाति कलाल, श्री मदनसिंह पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत निवासीगण बाली** जिला पाली (राज.) के खातेदारी अधिकार विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक खाते सरकार दर्ज करने के आदेश किए जाते हैं। **अप्रार्थीगण श्रीमती उच्छल कंवर वगैरा** को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज ....–.............मुवलिक.........–.......... बाबत...........–.......... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह____–.
............फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–..............को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15.05.2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दयलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकलातनामा	
स्टाम्प वकलातनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान:–		मिजान:–	

नोट:–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जाये।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली)

CamScanner